झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–170 वर्ष 2020

1. ज्ञानमुनि ओझा

2. सत्येंद्र नारायण ओझा उर्फ सत्येंद्र ओझा

3. विकाश ओझा .... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ के0 गुप्ता

याचिकाकर्त्तागण के लिए :– श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– श्री रवि प्रकाश, विशेष लोक अभियोजक।

सूचक के लिए:– श्री पंकज श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

03 / 25.11.2020

1. पुनरीक्षण विद्वान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III, गढ़वा की अदालत द्वारा पारित दिनांक 21.12.2019 के निर्णय के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 227 के तहत उन्मोचन के लिए दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी पार्टी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा उठाए गए आपत्ति को सुना।

3. यह स्पष्ट है कि पहले, याचिकाकर्त्ताओं ने खारौन्धी थाना काण्ड संख्या 70/2014 (जी0आर0 संख्या 1733/2014) के संबंध में पूरी आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए क्रिमिनल एम0पी0 संख्या–1793/2015 दायर किया था, जिसके द्वारा विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, गढ़वा ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 341, 325, 504, 307/34 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (iv) (x) के तहत अपराधां का संज्ञान लिया था। न्यायालय ने दिनांक 06.04.2015 के आदेश द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराधों का संज्ञान लेने की निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था और संप्रेक्षण किया कि भारतीय दण्ड सहिता की धाराओं के तहत आरोप बनाया गया है। ट्रायल कोर्ट को भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराधों के लिए मामले में आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया था। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत एक आदेश पारित करते समय अदालत को एक लघु विचारण करने के उद्देश्यों के लिए सबूतों को निचोड़ने और तौलने की आवश्यकता नहीं है। अदालत को अपनी संतुष्टि दर्ज करना आवश्यक है कि मुकदमें की कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री है। अदालत मजबूत संदेह के मामलों में भी रिकॉर्ड पर सामग्रियों के आधार पर चार्ज फ्रेम कर सकती है। आक्षेपित आदेश के अवलोकन पर, ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय ने केस डायरी में सामग्रियों के आधार पर चर्चा और अपनी संतुष्टि दर्ज किया है कि आई0पी0सी0 की धारा 307 के तहत एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था।

विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि चोट की रिपोर्ट यह साबित नहीं करती है कि याचिकाकर्त्ता की आपराधिक मनःस्थिति भा0दं0सं0 की धारा 307 के तहत अपराध करने की थी, जिसकी विवेचना और चर्चा विचारण न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने के समय किया जा सकता है और इस स्तर पर नहीं।

4. मेरे विचार में आक्षेपित आदेश किसी भी असंगतता और अवैधता से ग्रस्त नहीं है। याचिकाकर्त्ता विचारण के उचित चरण में अपने बचाव में बिंदु हमेशा उठा सकता है।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय ने मामले के गुण और अवलोकन पर कोई विचार या राय व्यक्त नहीं की है, यदि कोई यहाँ बनाया गया है, जो कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के अधीन पारित आदेश की वैधता तक सीमित है।

6. पूर्वोक्त दिशा–निर्देश के साथ, पुनरीक्षण, इसके द्वारा निपटाया जाता है।

ह0

(अमिताभ के0 गुप्ता न्याया0)